भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3072
उत्तर देने की तारीख : 06.08.2026

पीएम विश्वकर्मा योजना

3072. श्रीमती शांभवीः
श्री राजेश वर्माः
श्री अरुण भारतीः
डॉ. लता वानखेड़ेः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्त वर्ष 2025-2026 के दौरान पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत बिहार और मध्य प्रदेश में क्या वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां हासिल की गई हैं;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान बिहार और मध्य प्रदेश में कुल कितने पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों ने बुनियादी कौशल प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है और पीएम विश्वकर्मा प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है;

(ग) बिहार और मध्य प्रदेश में लाभार्थियों को सीधे संवितरित किए गए संपार्श्विक-मुक्त उद्यम विकास ऋणों और टूलकिट ई-वाउचर की कुल मात्रा कितनी है;

(घ) क्या सरकार को पंजीकरण पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिनके कारण बिहार और मध्य प्रदेश में ग्रामीण कारीगरों के लिए सत्यापन में देरी हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा राज्य प्राधिकरणों के समन्वय से बिहार और मध्य प्रदेश में आवेदकों के लिए त्रि-स्तरीय सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु क्या प्रशासनिक कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ग) : पीएम विश्वकर्मा स्कीम पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समग्र सहायता प्रदान करने हेतु एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है। बिहार और मध्य प्रदेश राज्य में पीएम विश्वकर्मा के तहत पंजीकृत पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की संख्या, उनको जारी किए गए पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र, प्रदान किए गए आधारभूत कौशल प्रशिक्षण, कोलेटरल-मुक्त संस्वीकृत उद्यम विकास ऋण और वितरित किए गए टूलकिट ई-वाउचर का विवरण **अनुबंध-I** में है।

(घ) और (ङ): पीएम विश्वकर्मा पोर्टल एक पारदर्शी, दक्ष और कागजरहित सेवा वितरण हेतु एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। पीएम विश्वकर्मा पोर्टल सुचारू रूप से काम कर रहा है और परिचालन संबंधी किसी भी आवश्यकता की जवाबदेही के लिए एक तकनीकी टीम मौजूद है।

बिहार और मध्य प्रदेश राज्य सहित कुल 30 लाख कारीगरों और शिल्पकारों को त्रि-स्तरीय सत्यापन प्रक्रिया के पश्चात सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया है।

अनुबंध-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3072, जिसका उत्तर दिनांक 06.08.2026 को दिया जाना है, के उत्तर भाग (क) से (ग) में संदर्भित अनुबंध-I

पीएम विश्वकर्मा के तहत बिहार और मध्य प्रदेश में पंजीकृत किए गए पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की संख्या, उन्हें जारी किए गए पीएमवी प्रमाणपत्र, पूर्ण किए गए आधारभूत कौशल प्रशिक्षण, संस्वीकृत ऋणों की संख्या और राशि तथा वितरित किए गए टूलकिट का विवरण				
विवरण	बिहार		मध्य प्रदेश	
	शुरुआत से (दिनांक 17.09.23 से दिनांक 04.08.26 तक)	वर्ष 2025-26	शुरुआत से (दिनांक 17.09.23 से 04.08.26 तक)	वर्ष 2025-26
पंजीकृत शिल्पकारों और कारीगरों की संख्या	1,62,053	4,669	2,78,022	4,330
जारी किए गए पीएमवी प्रमाण-पत्र	1,62,053	4,669	2,78,022	4,330
पूर्ण किया गया आधारभूत कौशल प्रशिक्षण	1,19,731	28,003	2,28,642	26,924
संस्वीकृत ऋण की संख्या	27,492	13,755	60,289	24,410
संस्वीकृत ऋण की राशि (करोड़ रुपए में)	233.53	113.28	546.82	220.43
वितरित किए गए टूलकिट	73,153	60,004	1,57,897	1,19,355